

शासकीय आईटीआई में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2013

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निम्न तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों-सह-कियोस्क केन्द्रों की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

वृत्त/संस्था का नाम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	प्राथमिकताक्रम का पुनः निर्धारण (Re-Choice filling)	वास्तविक आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	अप्रोडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अप्रोडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश
प्रथम चरण	20/06/2013 से 05/07/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	20/06/2013 से 06/07/2013 (शाम 05:00 बजे तक)	20/06/2013 से 06/07/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	21/06/2013 से 07/07/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	12/07/2013 से 19/07/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 19/07/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक)	12/07/2013 से 19/07/2013 (शाम 05:00 बजे तक)	25/07/2013 से 31/07/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 31/07/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक)
द्वितीय चरण	05/08/2013 से 10/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	05/08/2013 से 11/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	05/08/2013 से 11/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	05/08/2013 से 11/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक)	16/08/2013 से 22/08/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 22/08/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक)	16/08/2013 से 22/08/2013 (शाम 05:00 बजे तक)	29/08/2013 से 02/09/2013 आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 02/09/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक)

संस्थाओं द्वारा व्यवसायवार/श्रेणीवार/रिक्त स्थानों की जानकारी एमपी ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त करना	इंटरनल स्लाईडिंग के लिए संस्था में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना	मेरिट सूची बनाना तथा संस्था पटल पर प्रदर्शित करना	प्रवेश की कार्यवाही करना	इंटरनल स्लाईडिंग के उपरांत रिक्त स्थान वेबसाइट पर प्रदर्शित करना
04/09/2013	05/09/2013 से 09/09/2013	10/09/2013	11/09/2013 से 13/09/2013	15/09/2013

महत्वपूर्ण:	
ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन:-	
1.	काउंसलिंग में शामिल होने के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 35/- रजिस्ट्रेशन शुल्क, पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा।
2.	द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रथम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे परन्तु उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ या जिन्होंने आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अन्य अभ्यर्थी जो प्रथम बार काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें रुपये 35/- रजिस्ट्रेशन शुल्क, पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा।
रजिस्ट्रेशन त्रुटि सुधार:-	
1.	प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में किये गये रजिस्ट्रेशन में सुधार के लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 15/- पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा।
ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन:-	
1.	प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice filling) के लिए देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 50/- पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा।
2.	प्रथम चरण की काउंसलिंग में जिन्हें सीट आवंटित नहीं हुई है एवं उनके द्वारा द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice filling) में कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। सीट आवंटित होने के पश्चात् जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है या वे प्रथम बार प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice filling) की कार्यवाही कर रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकताक्रम चयन शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।
अपग्रेडेशन:-	

1.	अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को ही अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करना होगा तथा उन्हें प्रिंटआउट में दर्शाई गई नई आवंटित संस्था में अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करना होगा। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व में आवंटित संस्था में, नया आवंटन पत्र प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन होने की स्थिति में नवीन आवंटित संस्था में ही प्रवेश मान्य होगा। (अपग्रेडेशन में अभ्यर्थी द्वारा जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम दिया है, उनमें से उसे संस्था/पाठ्यक्रम के आवंटन हेतु अवसर मिलेगा।)
सामान्य निर्देश:-	
1.	काउंसलिंग में पंजीयन (Registration) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
2.	प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें।
3.	शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग अथवा एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
4.	प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट पर कहीं से भी संपादित कर सेव (Save) कर लें, तत्पश्चात् ही किसी कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
5.	आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी है।
6.	प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे।

अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्य प्रदेश